

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री गुणेशाराम व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साईयों का तला, बाडमेर, जिनकी जन्मतिथि 26.05.1964 है, का निधन दिनांक 19.04.2018 को होने व मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08115001000000300229/2018 स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री गुणेशाराम व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सेवाएं दिनांक 19.04.2018 से समाप्त की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री गुणेशाराम व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साईयों का तला, बाडमेर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवासमाप्ति/2017 दिनांक 15/6/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बाडमेर
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देबावास जालौर
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री गुणेशाराम
7. निजी/रक्षित पत्रावली

8. अनुभाग अधिकारी सम्पूर्ण अनुभाग



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री होशियार सिंह व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता, जयपुर, जिनकी जन्मतिथि 14.03.1959 है, का निधन दिनांक 17.05.2018 को होने व मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08110001000062100827/2018 स्थानीय निकाय मोतीझूंगरी जॉन जयपुर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री होशियार सिंह व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सेवाएं दिनांक 17.05.2018 से समाप्त की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री होशियार सिंह व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता जयपुर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवासमाप्ति/2017 दिनांक 15/6/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ——
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जयपुर
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोता-जयपुर
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री होशियारसिंह

7. निजी/रक्षित पत्रावली

8. अनुमान अर्थात् कम्प्यूटर अनुमान



संयुक्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर